


निबरानी 937-PBR-15

न्यायालय : मुख्य नियंत्रक राजस्व प्राधिकरण (राजस्व मण्डल) म.प्र. ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक / 2015 पुनरीक्षण

श्री. पुरुषोत्तम सिंह (स)

द्वारा आज दि. 30-4-15 को प्रस्तुत


कलेक्टर ऑफ कोर्ट


राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

कन्हैयालाल आनन्द पुत्र स्व. श्री जेठानन्द आनन्द
आयु 65वर्ष व्यवसाय व्यापार निवासी 33 रतनकालोनी
जीवाजीगंज लशकर ग्वालियर आवेदक
विरुद्ध

1. म.प्र. शासन द्वारा कलेक्टर आफ स्टाम्पस ग्वालियर
2. पुरुषोत्तम लाल सबलोक पुत्र स्व. श्री गुमनाही शाह
आयु 72 वर्ष निवासी जी 2, 3 गांधी नगर ग्वालियर
..... अनावेदकगण

पुनरीक्षण आवेदन अन्तर्गत धारा 56 भारतीय मुद्रांक अधिनियम विरुद्ध
कलेक्टर ऑफ स्टाम्पस ग्वालियर द्वारा प्र. क्र. 24/बी 103/2014-15
म.प्र. शासन विरुद्ध पुरुषोत्तम लाल एवं अन्य में पारित आदेश दिनांकित
30.01.2015 जिसके द्वारा धारा 40 भारतीय मुद्रांक अधिनियम के अधीन
आवेदक व अनावेदक के बीच संपादित अनुबन्धपत्र पर अनौचित्यपूर्णरूप
से 425000/- रुपये जमा करने को आदेशित किया गया है।





R. 938-PBR/15 2016

1.3.2016

DP

अवेक की ओर से सूचना उपरोक्त
कोई भी उपस्थित नहीं। शासन की
ओर से श्री अमिष कुमार श्रीवास्तव
आभिभाषक उपस्थित। तीन बार बुकार
लगवाई गई, फिर भी कोई उपस्थित नहीं।
अतः प्रकाश अक्षय चरकी में जैरस
किया जाता है।

अक्षय

अक्षय